न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः–251 ए आरटीए
प्रकरण संख्याः– 55/2018

1. औमप्रकाश
2. नत्थूराम
3. बीरबल
4. आत्माराम

पि0 हरचन्द जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम्

1. ज्ञान सिह पुत्र रूलिया सिह जाति जटसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :–

प्रार्थीगण औमप्रकाश ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र 251ए आरटीए के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रार्थीगण के नाम से चकनं0 14 एफटीपी के खाता सं0 13/58 में कुल 3.036 है0 ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चकनं0 14 एफटीपी के खाता सं0 43/32 के प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 1,10,11,12/.076, 19 कुल 1.088 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की दफा 1 में अंकित हम प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीगण अपनी कृर्षि भूमि में आवागमन करने के लिए मुख्यरास्ता से होकर अप्रार्थी की कृर्षि भूमि प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 11 में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व किलानं0 12 में दक्षिण दिशा में से किलानं0 19 में उतर दिशा में पश्चिम से पूर्व चालू रास्ता में से होकर अपनी भूमि किलानं0 18 में प्रवेश करते है। इसके अलावा प्रार्थीगण को नजदीक व अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।उपरोक्त वर्णित चालू रास्ता का अभी तक राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित रास्ते के बदले में अप्रार्थी को चकनं0 14 एफओपी के मु0 16 के किलानं0 18 मे से कृर्षि भूमि दे दी है जो आज मौका पर अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण वाके चकनं0 14 एफटीपी के प0न0 180/249 मु0 16 किला नं0 11 में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व .015 है0 व किलानं0 12 में दक्षिण दिशा में .002 है0 मोड़ व किलानं0 19 में .015 है0 गै0मु0 रास्ता मन्जूर करवाना चाहते है, राजस्व राजस्व रिकार्ड में मन्जूर कर गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाकर इस रास्ता की भूमि के बदले में हम प्रार्थीगण की प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 18 में .015 है0 कृर्षि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की जाती है तो हम प्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित चालु रास्ता के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थी हम प्रार्थीगण के निवेदन को मानने से कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश होने पर सीमेतार की रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में अंकित प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई मन्जुरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए मुख्यरास्ता से होकर मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 11 में दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व किलानं0 12 में दक्षिण दिशा में से किलानं0 19 में उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व चालू रास्ता में से होकर अपनी भूमि किलानं0 18 में प्रवेश करते है, जिसके बदले में प्रार्थीगण द्वारा मुझ अप्रार्थी को प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 18 में .015 है0 कृषि भूमि दी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता चालू है।इसलिए चक 14 एफटीपी के प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 11 में .015 है0 दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व, किलानं0 12 में .002 है0 दक्षिण दिशा कॉर्नर, किलानं0 19 में .015 है0 उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु रास्ता अंकन कर प्रार्थीगण के नाम से अंकित भूमि प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 18 में .015 है0 कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी के नाम से अंकित कर प्रार्थीगण के हिस्सा से भूमि कम की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा के साथ पक्षकारान के आई.डी. की फोटो प्रतियॉं पेश की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

बहस प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करते है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है जिसे प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहते है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी दी हुई है, जो राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी के नाम से अंकन की जाती तो हम प्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर राजीनामा पेश किया हुआ है। मौका पर रास्ता चालु है। बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली अध्यन से प्रार्थीगण द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहे है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है चक 14 एफटीपी के प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 11 में .015 है0 दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व, किलानं0 12 में .002 है0 दक्षिण दिशा में से, किलानं0 19 में .015 है0 उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किये जाने व प्रार्थीगण के नाम से अंकित भूमि प0न0 180/249 मु0 16 किलानं0 18 में .015 है0 (11 फुट चौडी व 155 फुट लम्बी दक्षिण से उत्तर) कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थीगण के हिस्सा से भूमि कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी